दृष्टि The Vision

सरकारी योजनाएँ

रिपोर्ट्स एवं सूचकांक

IAS/PCS परीक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, रिपोर्ट्स व सूचकांकों का संकलन

प्रथम संस्करण

- भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित महत्त्वपूर्ण योजनाओं का विस्तृत संकलन
- उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य की सरकारों द्वारा संचालित योजनाओं का संकलन
- प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय रिपोर्ट्स व सूचकांकों पर अद्यतन जानकारी
- अभ्यास प्रश्नों का संकलन

अब घर बैठे कीजिये
आई.ए.एस. की तैयारी
क्योंकि हम आ रहे हैं
आपके घर

हिंदी साहित्य

द्वारा- डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

मोड : ऑनलाइन / पेन ड्राइव

IAS परीक्षा में सर्वाधिक अंकदायी वैकल्पिक विषय 'हिंदी साहित्य' पढ़िये सिविल सेवा जगत के सबसे लोकप्रिय शिक्षक डॉ. विकास दिव्यकीर्ति से। इस कोर्स में शामिल हैं 157 रोचक कक्षाएँ, जिनमें IAS का संपूर्ण पाठ्यक्रम एकदम आधारभूत स्तर से शुरू करते हुए पढ़ाया गया है। इन कक्षाओं को गंभीरता से करने और क्लास नोट्स (जो आपके पास भेजे जाएंगे) को पढ़ने के बाद आपको कुछ भी अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। इन कक्षाओं से परीक्षा की तैयारी तो होगी ही, साथ ही जीवन के प्रति सुलझा हुआ नज़रिया भी विकसित होगा।

यह कोर्स ऑनलाइन मोड (ऐप) के अलावा पेन ड्राइव मोड में भी उपलब्ध है। यदि आप इंटरनेट नेटवर्क की कमी या किसी अन्य कारण से यह कोर्स मोबाइल फोन की बजाय लैपटॉप/कंप्यूटर पर करना चाहते हैं तो कृपया ऐप के होम पेज पर जाकर पेनड्राइव कोर्स की टैब पर क्लिक करें।

एडमिशन प्रारंभ

कक्षाओं की गुणवत्ता को परखने के लिये डेमो वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल **Drishti IAS** की प्लेलिस्ट **Online Courses** में देखें

ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी हर जानकारी के लिये हमारी वेबसाइट **www.drishtiias.com** या **Drishti Learning App** पर **FAQs** पेज देखें

इस कोर्स से संबंधित किसी भी अतिरिक्त जानकारी
के लिये 9311406440-41 नंबर पर सीधे बात या मैसेज करें

हिंदी साहित्य : कोर्स की विशेषताएँ

1. UPSC के पाठ्यक्रम के लिए 400+ घंटे की कक्षाएँ।
2. UPPCS एवं BPSC के विशिष्ट टॉपिक्स के लिये 30-30 घंटे की पृथक कक्षाएँ।
3. प्रत्येक कक्षा को 3 बार देखने की सुविधा, ताकि आप टॉपिक को पढ़ने के बाद रिवीज़न भी कर सकें।
4. हर क्लास में उस टॉपिक से IAS, PCS में पूछे गए और अन्य संभावित प्रश्नों का विस्तृत अभ्यास।
5. स्टेट-ऑफ-द-आर्ट कैमरा और साउंड क्वालिटी, जो क्लास के अनुभव को एकदम वास्तविक जैसा बनाती है।
6. पाठ्यक्रम की टेक्स्ट बुक्स व नोट्स भी इस कार्यक्रम में शामिल, जिनके अलावा किसी अन्य अध्ययन सामग्री की आवश्यकता नहीं।

अधिक जानकारी के लिये अपने एंड्रॉयड फोन पर आज ही इंस्टॉल करें

Drishti Learning App

दृष्टि आई.ए.एस. (दिल्ली) :
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
☎ 87501 87501

दृष्टि आई.ए.एस. (प्रयागराज) :
ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज
☎ 87501 87501

सरकारी योजनाएँ, रिपोर्ट्स एवं सूचकांक

IAS/PCS परीक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, रिपोर्ट्स व सूचकांकों का संकलन

प्रथम संस्करण

दृष्टि पब्लिकेशन्स

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष: 011-47532596, 87501 87501
Website : www.drishtiias.com
E-mail : booksteam@groupdrishti.com

शीर्षक : सरकारी योजनाएँ, रिपोर्ट्स एवं सूचकांक

लेखक : टीम दृष्टि

प्रथम संस्करण- अगस्त 2021

मूल्य : ₹ 100

प्रकाशक

VDK Publications Pvt. Ltd.

(दृष्टि पब्लिकेशन्स)

641, प्रथम तल,

डॉ. मुखर्जी नगर,

दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

✸ इस पुस्तक में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।

✸ हम विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक में छपी सामग्री लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखी गई है। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो प्रकाशक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

✸ सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।

✸ **© कॉपीराइट :** दृष्टि पब्लिकेशन्स (A Unit of VDK Publications Pvt. Ltd.), सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपीकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानान्तरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

✸ एम.पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेज़-2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।

दो शब्द

प्रिय पाठको,

जैसा कि आप सबको ज्ञात ही होगा कि आईएएस प्रिलिम्स और विभिन्न राज्य पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षाएँ नज़दीक आ रही हैं। आशा है कि आपकी तैयारी ज़ोरों पर होगी। हम भी अपनी ओर से आपकी तैयारी में हर संभव सहायता कर सकें, इसलिये हम आपके समक्ष एक नई पुस्तक लेकर आए हैं- 'सरकारी योजनाएँ, रिपोर्ट्स एवं सूचकांक'। इस बात से आप भलीभाँति परिचित होंगे कि आईएएस व पीसीएस परीक्षाओं में सरकारी योजनाओं और देश-विदेश के विभिन्न संस्थानों द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट्स व सूचकांकों से हमेशा ही 3-4 प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। हाल के कुछ वर्षों में इनका महत्त्व और बढ़ा है। अक्सर ये सभी योजनाएँ, रिपोर्ट्स व सूचकांक विद्यार्थियों को अनियोजित रूप से विभिन्न मैगज़ीन्स व वेबसाइट्स से पढ़ने पड़ते हैं, जिससे तैयारी का प्रवाह बाधित होता है और आवश्यक चीज़ें याद रखने में कठिनाई होती हैं। इसी समस्या के समाधान हेतु टीम दृष्टि यह पुस्तक लेकर आई है।

इस पुस्तक की विशेषताओं के संदर्भ में चर्चा की जाए तो तीन खंडों में विभाजित इस पुस्तक के प्रथम खंड में भारत सरकार की सभी प्रमुख योजनाएँ दी गई हैं। हमने इसकी संरचना ऐसी रखी है कि किसी एक केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली सभी योजनाएँ एक साथ संकलित हो ताकि आपको योजनाओं के अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्यों के साथ-साथ उनके नोडल मंत्रालय का नाम भी स्वत: ही याद हो जाए। इस प्रकार भारत सरकार के लगभग 40 मंत्रालयों की विभिन्न योजनाएँ इस पुस्तक में शामिल हैं। साथ ही, इसी खंड में पीसीएस परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं का भी संकलन किया है।

सरकारी योजनाओं के अलावा पुस्तक के द्वितीय खंड में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों व देश-विदेश के प्रमुख संस्थानों द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट्स एवं सूचकांक को भी सार रूप में संकलित किया गया है। उल्लेखनीय है कि सूचकांकों को हमने विशेष तौर पर ऐसे फॉर्मेट में तैयार किया है कि आपको इनके जारीकर्त्ता संगठन, भारत की रैंक व प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले देशों का नाम फौरन याद हो जाए। इसी खंड में नीति आयोग द्वारा जारी की गई 'स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया@75' को भी सार रूप में संकलित किया गया है।

पुस्तक के तृतीय खंड में हमने सरकारी योजनाओं व सूचकांकों से संबंधित 100 प्रश्नों को भी सम्मिलित किया है। ध्यातव्य है कि अभ्यास प्रश्नों का संकलन आईएएस प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर किया गया है क्योंकि इसमें योजनाओं, रिपोर्ट्स व सूचकांकों से अवधारणात्मक प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है। राज्यों की योजनाओं से सामान्यत: तथ्यात्मक प्रश्न ही पूछे जाते हैं, अत: वैसी जानकारी को प्रथम खंड में ही सम्मिलित कर लिया गया है।

हमें पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक आपकी तैयारी और सफलता में सहायक सिद्ध होगी। आपसे निवेदन है कि इस पुस्तक को पाठक के साथ-साथ आलोचक की निगाह से भी पढ़ें। अगर आपको इसमें कोई कमी दिखे तो आप अपने सुझाव हमें बेझिझक **'8130392355'** नंबर पर वाट्सएप मैसेज से भेज सकते हैं। आपकी टिप्पणियों के आधार पर हम पुस्तक के आगामी संस्करणों को और बेहतर बना सकेंगे।

साभार,

प्रधान संपादक

दृष्टि पब्लिकेशन्स

अनुक्रम

खंड–I (1-94)	भारत सरकार की योजनाएँ	2-56
	उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएँ	57-62
	बिहार सरकार की योजनाएँ	63-69
	मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएँ	70-76
	राजस्थान सरकार की योजनाएँ	77-84
	छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएँ	85-94
खंड–II (95-120)	रिपोर्ट्स एवं सूचकांक	96-120
खंड–III (121-132)	अभ्यास प्रश्न	122-132

खंड I

सरकारी योजनाएँ

1 भारत सरकार की योजनाएँ (Indian Government Schemes)

सरकारी योजनाओं से संबंधित परिभाषाएँ एवं तथ्य

- अक्तूबर 2015 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के युक्तीकरण पर मुख्यमंत्रियों के उप समूह (The Sub-Group of Chief Ministers on Rationalization of Centrally Sponsored Schemes) ने अपनी रिपोर्ट नीति आयोग को सौंपी थी। इसकी अध्यक्षता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। इसके आधार पर केंद्र सरकार ने योजनाओं की संरचना और वित्त पोषण में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किया।
- केंद्र सरकार की योजनाएँ मुख्यता दो प्रकार की होती हैं–
  - केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ (Central Sector Schemes)
  - केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (Centrally Sponsored Schemes)
- केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है तथा इनका संबंध संविधान की सातवीं अनुसूची के संघ सूची में आने वाले विषयों से है। इन्हें संघ सरकार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के तहत कार्य करने वाली संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और ये संघ सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित हैं।
- केंद्र प्रायोजित योजना का संबंध संविधान की सातवीं अनुसूची के राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषयों से हैं। इन योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है और इनकी आर्थिक लागत को केंद्र और राज्यों के बीच सामान्यत: साझा किया जाता है।
- उप समूह ने सिफारिश की थी कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं की कुल संख्या 30 से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- केंद्र प्रायोजित योजना को कोर और वैकल्पिक योजनाओं में विभाजित किया गया है–
  - **कोर योजनाएँ:** इसमें वह केंद्र प्रायोजित योजनाएँ शामिल हैं जिनका एजेंडा राष्ट्रीय विकास है तथा यहाँ केंद्र और राज्य सरकार को टीम इंडिया की भावना के साथ मिलकर काम करना है।
  - **कोर ऑफ कोर योजनाएँ:** वे योजनाएँ जो सामाजिक संरक्षण और सामाजिक समावेशन के लिये आवश्यक हैं और नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा के लिये उपलब्ध धन पर प्राथमिक रूप से भारित हैं।
  - **वैकल्पिक योजनाएँ:** इन योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर है तथा वे इनका चयन करने के लिये स्वतंत्र हैं। इन योजनाओं के लिये वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को एकमुश्त राशि आवंटित की जाती है।
- कोर ऑफ कोर योजनाओं का वित्त पोषण अपने पूर्व रूप में ही जारी रहेगा।
- कोर योजनाओं के संबंध में वित्त पोषण निम्न आधार पर होगा–
  - उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिये केंद्र और राज्य सरकार के मध्य 90:10 में लागत साझा होगी।
  - अन्य राज्यों के लिये केंद्र और राज्य 60:40 में लागत साझा करेंगे।
  - जिन संघ राज्यक्षेत्रों में विधायिका नहीं है वहाँ केंद्र सरकार 100 प्रतिशत और विधायिका वाले संघ राज्यक्षेत्रों में पूर्व निर्धारित वित्त पोषण जारी रहेगा।
- वैकल्पिक योजनाओं के लिये वित्त पोषण निम्न आधार पर होगा–
  - उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिये केंद्र और राज्य सरकार के मध्य 80:20 में लागत साझा होगी।
  - जिन संघ राज्यक्षेत्रों में विधायिका नहीं है वहाँ केंद्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत और विधायिका वाले संघ राज्यक्षेत्रों में 80:20 में लागत साझा होगी।
- केंद्र प्रायोजित योजना को निर्मित करते समय केंद्रीय मंत्रालय राज्यों को घटकों के चयन में लचीलापन प्रदान करेंगे जैसा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत उपलब्ध है।
- इसके अलावा, प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना में उपलब्ध फ्लेक्सी-फंड को राज्यों के लिये 10 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 25 प्रतिशत और संघ राज्यक्षेत्र के लिये 30 प्रतिशत कर दिया गया है ताकि राज्य और संघ राज्यक्षेत्र अपनी विशिष्ट आवश्यकताएँ बेहतर तरीके से पूर्ण कर सकें।
- बजट 2021-22 के अनुसार कोर ऑफ कोर योजनाएँ निम्न हैं–
  1. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
  2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम – मनरेगा
  3. अनुसूचित जातियों के विकास के लिये अम्ब्रेला योजना
  4. अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिये अम्ब्रेला कार्यक्रम
  5. अल्पसंख्यकों के विकास के लिये अम्ब्रेला कार्यक्रम
  6. अन्य वंचित या कमज़ोर समूहों के विकास के लिये अम्ब्रेला कार्यक्रम
- वित्तीय वर्ष 2021–22 में 29 कोर योजनाओं को शामिल किया गया है। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी और ग्रामीण दोनों), इत्यादि प्रमुख हैं।

2 उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएँ
(Uttar Pradesh Government Schemes)

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों के लिये नि:शुल्क कोचिंग योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना यूपीएससी, पीएसी, जेईई, एनईईटी और अन्य परीक्षा उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करेगी।
- योजना के अंतर्गत राज्य सरकार पात्रता के आधार पर विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान करेगी ताकि वे डिजिटल शिक्षा के लिये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता या अभिभावक को खोने वाले अनाथ बच्चों के लालन-पालन के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ किया गया।
- योजना हेतु 0-18 आयु वर्ग के लिये वे सभी बच्चे जिनके माता तथा पिता की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण के कारण हो गई हो, इसके पात्र हैं।
- बाल देख-रेख संस्थाओं में आवासित 0-18 आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल हेतु ₹ 4000 प्रतिमाह दिये जाएंगे। प्रदेश सरकार सभी बालिकाओं के विवाह हेतु ₹ 1,01,000 की राशि उपलब्ध कराएगी।

उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के बीपीएल परिवारों, जिनकी आय ₹ 2 लाख से कम है, की बालिकाओं हेतु उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना प्रारंभ की है।
- योजना के तहत बेटी के जन्म होने पर उसके खाते में ₹ 50,000 तथा बेटी की माँ को ₹ 5100 की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
- इसके अतिरिक्त बेटी के कक्षा 6 में पहुँचने पर ₹ 3000, कक्षा 8 में पहुँचने पर ₹ 5000, कक्षा 10 में पहुँचने पर ₹ 7000 तथा कक्षा 12 में पहुँचने पर ₹ 8000 दिये जाएंगे। योजना के अंतर्गत एक परिवार की दो बेटियों को ही यह आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट 2020-21 में ₹ 12000 करोड़ का प्रावधान किया गया।
- इस योजना में बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य के स्तर में वृद्धि के साथ बालिकाओं की भ्रूण हत्या को रोकने का उद्देश्य शामिल किया गया। यह योजना 1 अप्रैल, 2019 से संचालित की जा रही है।

मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना

- महिलाओं एवं बच्चों के कुपोषण की समस्या को दूर करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना आरंभ की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत ड्राई राशन के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के चिह्नित कुपोषित बच्चों तथा एनीमिया ग्रस्त 11-14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। इस योजना हेतु ₹ 100 करोड़ की राशि बजट में प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना

- ग्रामीण अंचलों में महिला दुग्ध उत्पादकों के स्वयं सहायता समूहों की आजीविका में वृद्धि एवं संवर्द्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 से महिला सामर्थ्य योजना क्रियान्वित की जाएगी।
- योजना के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अंतर्गत राज्य में महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना की जाएगी।

स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स (SAG)

- **आरंभ**- 21 फरवरी, 2019
- **उम्र**- 11-14 वर्ष
- **उद्देश्य**- उचित पोषण एवं विशेष देखभाल
- **किशोरी दिवस**- प्रत्येक माह की 8 तारीख़

विश्वकर्मा श्रम सम्मान निधि योजना

- **आरंभ**- 24 जनवरी, 2019
- **उद्देश्य**- प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय दस्तकारों तथा पारंपरिक कारीगरों के विकास हेतु
- **योजना के घटक**-
  - कौशल वृद्धि प्रशिक्षण
  - टूलकिट वितरण
  - मार्जिन मनी ऋण

खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र परियोजना

- आरंभ- 9 मार्च, 2019 (ग्रेटर नोएडा से डिजिटल माध्यम द्वारा)
- स्थित- बुलंदशहर
- लागत राशि- ₹ 12,676 करोड़

3 बिहार सरकार की योजनाएँ
(Bihar Government Schemes)

आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 (2020-2025)

बिहार सरकार द्वारा "न्याय के साथ विकास" के सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता कायम रखते हुए बिहार के विकास के लिये सुशासन के कार्यक्रम, 2020-25 के तहत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 (2020-25) कार्यक्रम को संपूर्ण राज्य में लागू किया जाएगा।

1. युवा शक्ति-बिहार की प्रगति

- उच्च शिक्षा के लिये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, युवाओं को रोज़गार ढूँढने में मदद करने हेतु स्वयं सहायता भत्ता योजना, युवाओं को कंप्यूटर, संवाद कौशल एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण देने हेतु कुशल युवा जैसे कार्यक्रमों को चलाया गया है। अब इनके साथ-साथ युवाओं को और बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी जिससे उन्हें रोज़गार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकें। इसके साथ ही अनेक कार्यक्रमों को भी क्रियान्वित किया जाएगा-
  - **संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने की योजना:** राज्य के प्रत्येक आई.टी.आई. एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये उच्चस्तरीय सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा। इन संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों की बाज़ार में मांग रहेगी तथा इन्हें बेहतर रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे।
  - **हर ज़िले में मेगा-स्किल सेंटर (मार्गदर्शन, नई स्किल में प्रशिक्षण:** वैसे युवा जो आई.टी.आई. एवं पॉलीटेक्निक में नहीं पढ़ रहे हैं और नए कौशल का प्रशिक्षण पाना चाहते हैं, उनके लिये हर ज़िले में कम से कम एक मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा।
  - **टूल रूम (हर प्रमंडल में):** प्रत्येक प्रमंडल में टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। टूल रूम में कई क्षेत्रों में नवीन एवं अत्याधुनिक मशीनें एक स्थान पर उपलबध रहती हैं। इनमें आई.टी.आई. एवं पॉलीटेक्निक से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को अत्याधुनिक मशीनों पर नई तकनीक की ट्रेनिंग दी जाएगी।
  - **स्किल एवं उद्यमिता हेतु नया विभाग (आई.टी.आई./पॉलीटेक्निक सहित):** स्किल डेवलपमेंट तथा उद्यमिता पर विशेष बल देने हेतु एक अलग विभाग स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग का गठन किया जाएगा जिसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.), पॉलीटेक्निक को समाहित किया जाएगा।
  - बिहार में चिकित्सा शिक्षा एवं अभियंत्रण शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु एक साथ चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं एक अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। साथ ही बिहार में खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स एकेडमी, राजगीर के परिसर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
  - **उद्यमिता विकास हेतु अनुदान/प्रोत्साहन (मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना):** युवाओं के लिये न सिर्फ उच्च स्तर के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है बल्कि उनको अपना उद्यम/व्यवसाय लगाने के लिये सरकार मदद करेगी। नया उद्यम अथवा व्यवसाय के लिये परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम ₹ 5 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा तथा अधिकतम 5 लाख का ऋण मात्र एक प्रतिशत ब्याज पर दिया जाएगा।

2. सशक्त महिला, सक्षम महिला

- **महिला उद्यमिता हेतु विशेष योजना (मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना):** महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये विशेष योजना लायी जाएगी जिसमें उनके द्वारा लगाए जा रहे उद्यमों में परियोजना लगात का 50 प्रतिशत अधिकतम ₹ 5 लाख तक का अनुदान तथा अधिकतम ₹ 5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
- **उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन:** उच्चतर शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिये इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिलाओं को ₹ 25,000 तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को ₹ 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- **क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी:** क्षेत्रीय प्रशासन तथा पुलिस थाना, प्रखंडों, अनुमंडल एवं ज़िलास्तरीय कार्यालयों में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी बढ़ायी जाएगी।

3. हर खेत तक सिंचाई का पानी: हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

4. स्वच्छ गाँव-समृद्ध गाँव

- **सभी गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाइट:** सभी गाँवां में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। साथ ही इसके नियमित अनुरक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी।
- **ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन:** गाँवों में भी ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन एवं मल प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। वार्ड स्तर पर नालों एवं गलियों की सफाई करायी जाएगी। प्रत्येक घर से ठोस कचरे का संग्रहण किया जाएगा तथा उनका उपयुक्त तकनीक के माध्यम से निस्तारण किया जाएगा। नालों के अंत में निकले हुए गंदे जल की उपयुक्त तकनीक के माध्यम से ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही पूर्व की निश्चय योजनाओं का अनुरक्षण भी किया जाएगा।

4 मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएँ
(Madhya Pradesh Government Schemes)

महिला सशक्तीकरण संबंधित योजनाएँ

मध्य प्रदेश शासन ने महिला सशक्तीकरण के लक्ष्य की पूर्ति के लिये अनेक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है जो राज्य के नागरिकों के कल्याण की दिशा में सकारात्मक परिणाम दे रही हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएँ निम्नलिखित हैं-

लाडली लक्ष्मी योजना

प्रदेश में 1 अप्रैल, 2007 से बालिकाओं के सर्वांगीण विकास एवं हितों के संरक्षण हेतु महत्त्वाकांक्षी 'लाडली लक्ष्मी योजना' शुरू की गई है। दिनांक 1 जनवरी, 2006 के बाद जन्मी बालिकाओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत बालिका के नाम पंजीकरण के समय से लगातार पाँच वर्षों तक ₹6 हज़ार के राष्ट्रीय बचत पत्र अर्थात कुल ₹30 हज़ार के राष्ट्रीय बचत पत्र बालिका के नाम पर खरीदे जाएंगे। बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर ₹2000, कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर ₹4000 और कक्षा 11 में प्रवेश लेने पर ₹6000 तथा 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर ₹6000 ई-पेमेंट से भुगतान किये जाएंगे। बालिका की आयु 21 वर्ष की होने पर शेष राशि का भुगतान एकमुश्त तभी किया जाएगा जब बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के बाद हुआ हो। परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना का लाभ ऐसे माता-पिता को ही दिया जाता है, जिन्होंने अधिकतम दो लड़कियों के जन्म के पश्चात् परिवार नियोजन अपना लिया हो।

गाँव की बेटी योजना

यह योजना वर्ष, 2005 में शुरू की गई। राज्य सरकार ने इस योजना के द्वारा ग्रामीण लड़कियों को उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। इस योजना के अंतर्गत नवोदय विद्यालय से 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्राओं को भी योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना में बारहवीं पास छात्रा को ₹500 प्रतिमाह की दर से 10 माह तक छात्रवृत्ति शिक्षा के लिये दी जाएगी।

तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम

महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से मज़बूत एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आई.एफ.ए.डी. (अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, परियोजना) रोम की मदद से प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है।

मध्य प्रदेश राज्य महिला वित्त एवं विकास निगम द्वारा आर्थिक स्वावलंबन से महिला सशक्तीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये प्रदेश में 'तेजस्विनी' ग्रामीण महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्ष 2007 से प्रदेश के छः ज़िलों डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़ में यह कार्यक्रम आरंभ किया गया था। तेजस्विनी योजना के पाँच प्रमुख घटक हैं- सामुदायिक संस्था विकास, सूक्ष्म वित्त सेवाएँ, आजीविका व उद्यमिता और विकास, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय एवं समानता और प्रोग्राम प्रबंधन।

कार्यक्रम के तहत इन छः ज़िलों में प्रत्येक ग्राम में चार से पाँच स्व-सहायता समूहों को मिलाकर एक ग्राम स्तरीय समिति भी गठित की गई है। सभी छः ज़िलों में वर्ष 2016-17 तक 2,682 गाँवों में कुल 2,629 ग्राम स्तरीय समितियाँ कार्यरत हैं।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य मज़बूत और निरंतर महिला स्व-सहायता समूहों तथा उनकी शीर्ष संस्थाओं का गठन व विकास करना, इन समूहों और संस्थाओं को सूक्ष्म वित्तीय सुविधाओं से जोड़ना और समूहों को बेहतर आजीविका के अवसर तलाशने तथा इनका उपयोग करने के योग्य बनाना है। कार्यक्रम का एक और उद्देश्य समूहों को सामाजिक समानता, न्याय और विकास की गतिविधियों के लिये सशक्त करना भी है। जैसे- शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंधन करना, कड़ी मज़दूरी में कमी लाना, पंचायत में पूर्ण भागीदारी देना और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और अपराध को समाप्त करना।

मुख्यमंत्री निकाह योजना

मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री निकाह योजना वर्ष 2012-13 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत निराश्रित, गरीब परिवारों की मुस्लिम कन्याओं/विधवाओं/परित्यक्ताओं के सामूहिक निकाह कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत कन्याओं की गृहस्थी की स्थापना हेतु कन्या को ₹51,000 की धनराशि दिये जाने का प्रावधान है। इसमें कन्या के लिये 18 वर्ष तथा पुरुष के लिये 21 वर्ष की आयु सीमा पूर्ण करने की अनिवार्यता है। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान नहीं रखा गया है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

यह योजना अप्रैल 2006 से शुरू की गई। 2015 में इस योजना का नाम बदलकर 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना' कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा गरीब, ज़रूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के लिये ₹51,000 की सहायता की जाती है।

5 राजस्थान सरकार की योजनाएँ
(Rajasthan Government Schemes)

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना

- 19 नवंबर, 2020 को इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना (IGMPY) की शुरुआत की गई। इस योजना की घोषणा राज्य के वर्ष 2020-21 के बजट में की गई थी।
- इस योजना को राज्य के प्रमुख जनजातीय ज़िलों-प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बाँसवाड़ा और उदयपुर तथा सहरिया बहुल बारां से प्रारंभ किया गया।

उद्देश्य एवं लक्ष्य

- गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाकर जन्म के समय कम वज़न और दुर्बलता की घटनाओं को कम करना।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों सहित राजस्थान सरकार की कुपोषण निवारण रणनीति 'सुपोषित राजस्थान विज़न 2022' के लक्ष्यों की प्राप्ति से सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार (SBCC) रणनीति को अपनाना।

देय लाभ

दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थियों को निम्नलिखित पाँच चरणों में ₹6000 का नकद लाभ दिया जाएगा।

शर्त और किश्तें		
किश्त	**शर्त**	**राशि (₹ में)**
पहली	गर्भावस्था जाँच व पंजीकरण होने पर (अंतिम महावारी तिथि से 120 दिनों के भीतर पंजीकरण होने पर)	1,000
दूसरी	कम-से-कम दो प्रसव पूर्व जाँचें पूरी होने पर (गर्भावस्था के 6 महीने के भीतर)	1,000
तीसरी	बच्चे के जन्म पर (संस्थागत प्रसव पर)	1,000
चौथी	बच्चे के 3½ माह (105 दिन) की उम्र तक के सभी नियमित टीके लग जाने व नवजात बच्चे का जन्म पंजीकरण होने पर (टीकाकरण के अंतर्गत बच्चे को BCG, OPV, DPT और हेपेटाईटिस-बी या इसके समकक्ष विकल्प की पहली खुराक मिलने तक	2,000
पाँचवीं	द्वितीय संतान के उपरांत दंपत्ती द्वारा संतान उत्पत्ति के 3 माह के भीतर स्थायी परिवार नियोजन साधन अपनाए जाने अथवा महिला द्वारा कॉपर टी लगवाया जाना	1,000
	कुल राशि	**6,000**

- योजना के अंतर्गत लाभार्थी को नकद लाभ हस्तांतरण राशि खान विभाग के अधीन राज्य स्तर पर निर्मित राज्य मिनिरल फंड द्वारा दी जाएगी।
- इस योजना के लिये राशि इंदिरा महिला शक्ति निधि (इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि) के अंतर्गत प्राविधित की जाएगी।

इंदिरा महिला शक्ति निधि

राजस्थान सरकार ने महिलाओं के सर्वांगीण सशक्तीकरण के उद्देश्य से बजट 2019-20 में ₹1000 करोड़ की राशि के 'इंदिरा महिला शक्ति निधि' के गठन की घोषणा की थी। इस निधि का उपयोग महिलाओं को उद्यम स्थापना के लिये सहयोग, आधुनिक अनुसंधान के लिये सहायता, कौशल विकास के लिये प्रशिक्षण, जागरुकता के लिये शिक्षा एवं पीड़ित महिलाओं के पुर्नवास संबंधित गतिविधियों में किया जाएगा।

इस निधि के तहत निम्नलिखित योजनाएँ प्रारंभ की गई हैं–

इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना

- इस योजना को 18 दिसंबर, 2019 को प्रारंभ किया गया।

उद्देश्य

- इंदिरा महिला शक्ति निधि से महिलाओं को उद्यम (विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार) की स्थापना अथवा स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण के लिये बैंकों से अनुदानयुक्त ऋण उपलब्ध कराकर रोज़गार के नवीन अवसर सृजित किये जाएंगे।
- योजना की प्रवर्तन की अवधि 18 दिसंबर, 2019 से 31 मार्च, 2024 तक होगी तथा इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य होगा।

पात्रता की शर्तें

- व्यक्तिगत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होना आवश्यक होगा।
- आवेदक (व्यक्तिगत/संस्थागत) का राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- महिला स्वयं सहायता समूह या इन समूहों के समूह (क्लस्टर/फेडरेशन) का राज्य सरकार के किसी विभाग के अंतर्गत दर्ज होना आवश्यक है।
- समूहों के समूह (क्लस्टर/फेडरेशन) को सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक होगा।

क्रियान्वयन एजेंसी

निदेशालय, महिला अधिकारिता राज्य स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु नोडल एजेंसी होगी।

6 छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएँ
(Chhattisgarh Government Schemes)

राजीव गांधी किसान न्याय योजना

उद्देश्य

किसानों को फसल उत्पादन के लिये प्रोत्साहित करना तथा कृषि रकबे में वृद्धि करना।

प्रारंभ

21 मई, 2020 से

प्रावधान/लाभ

- राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रावधानित ₹5750 करोड़ की राशि किसानों के खातों में चार किस्तों में अंतरित की जा रही है।
- 1 नवम्बर, 2020 तक ₹ 4500 करोड़ का भुगतान किया गया।
- इस योजना से प्रदेश के 19 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं।
- योजना के शुरूआती वर्ष में धान, मक्का और गन्ना (रबी) की फसलों को शामिल किया गया है।
- वर्ष 2020-21 में इसमें दलहन और तिलहन की फसलों को भी शामिल करने का निर्णय लिया जा चुका है।

भूमिहीन खेतिहर मज़दूरों का समावेश

- छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमिहीन खेतिहर मज़दूरों को 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना' के दूसरे चरण में शामिल करने का निर्णय लिया है।
- मुख्यमंत्री ने इसके लिये एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। यह समिति विस्तृत कार्य योजना तैयार कर मंत्रिपरिषद् की मंजूरी के लिये प्रस्तुत करेगी।

अब गोबर बनेगा... 'गो-धन'

उद्देश्य

जैविक खेती को बढ़ावा, ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर रोज़गार के नये अवसरों का निर्माण, गोपालन एवं गौ-सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ पशु पालकों को आर्थिक रूप से लाभान्वित करना।

प्रारंभ

20 जुलाई, 2020 को हरेली उत्सव के दिन से गोबर की खरीद शुरू की गई है।

प्रावधान/लाभ

- वर्तमान में 3726 गौठानों में ₹2 प्रति किलो की दर से ग्रामीणों तथा गोबर संग्राहकों से गोबर खरीदी की जा रही है। राज्य में 1,92,000 पंजीकृत व 1,02,232 लाभान्वित पशुपालक हैं।
- खरीदे गये गोबर से स्व. सहायता समूहों द्वारा वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जा रहा है।
- योजनान्तर्गत ₹8 प्रति किलो की दर से वर्मी कंपोस्ट की बिक्री। वर्मी कंपोस्ट 'गोधन वर्मी कंपोस्ट' के नाम से लॉन्च।
- 20 नवंबर, 2020 तक ₹53.53 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।
- गांवों में रोज़गार व अतिरिक्त आय के अवसरों में वृद्धि।

मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना

उद्देश्य

राज्य के शहरी क्षेत्रों की गरीब बस्तियों में निवासरत करीब 16 लाख लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच और आसान करना।

प्रारंभ

2 अक्तूबर, 2019 (महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से)

प्रावधान/लाभ

- योजनांतर्गत शहरी स्लम क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा चिह्नित स्थानों पर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार एवं दया वितरण।
- अब तक 4,557 से अधिक शिविर आयोजित किये जा चुके हैं तथा 1.83 लाख से अधिक मरीजों का इलाज किया गया है।
- 120 मोबाइल मेडिकल यूनिटों के माध्यम से झुग्गी बस्तियों में ही नि:शुल्क परामर्श, इलाज, दवाइयों एवं पैथोलॉजी लैब की सुविधा।
- द्वितीय चरण में 'मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना' का प्रदेश के समस्त 166 शहरों में विस्तार।

महिला सशक्तीकरण की अभिनव पहल : दाई-दीदी क्लीनिक

उद्देश्य

महिला चिकित्सकों द्वारा महिलाओं को नि:शुल्क उपचार मुहैया कराना।

प्रारंभ

19 नवंबर, 2020

प्रावधान/लाभ

- समर्पित महिला स्टाफ के माध्यम से महिला श्रमिकों एवं बच्चियों को नि:शुल्क उपचार एवं परामर्श।
- देश की पहली महिला स्पेशल क्लीनिक।
- वर्तमान में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत नगर निगम रायपुर, भिलाई एवं बिलासपुर में एक-एक क्लीनिक का संचालन।

खंड II

रिपोर्ट्स एवं सूचकांक

रिपोर्ट्स एवं सूचकांक
(Reports and Indices)

क्र.सं.	रिपोर्ट/सूचकांक	संस्थान/संगठन	भारत का स्थान/रैंक/स्कोर	शीर्ष देश/शहर
1.	ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक (2020)	विश्व बैंक (World Bank)	63वाँ (2019 में 77)	न्यूज़ीलैंड
2.	मानव पूंजी सूचकांक (2020)		116वाँ	सिंगापुर
3.	लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक		–	–
4.	वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट		–	–
5.	ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट (GEP) रिपोर्ट		–	–
6.	रेमिटेंस रिपोर्ट		–	–
7.	इंडिया डेवलपमेंट अपडेट		–	–
8.	वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट		–	–
9.	पॉवर्टी एंड शेयर प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट		–	–
10.	यूनिवर्सल हेल्थ सर्विसेज कवरेज इंडेक्स	विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन	–	–
11.	ट्रेवल एंड टूरिज़्म कॉम्पेटिटिवनेस इंडेक्स	विश्व आर्थिक मंच (WEF)	–	–
12.	वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक (2020)		72वाँ	स्विट्जरलैंड
13.	वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक		–	–
14.	समावेशी विकास सूचकांक		–	–
15.	वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक (2021)		140वाँ (2019 में 112)	आइसलैंड
16.	वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक (2021)		87वाँ (2020 में 74)	स्वीडन
17.	ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक		76वाँ	डेनमार्क
18.	वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट		–	–
19.	वैश्विक जोखिम रिपोर्ट		–	–
20.	रेडिनेस फॉर द फ्यूचर ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट	WEF और AT Kearney	–	–
21.	वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)	–	–
22.	वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक		–	–
23.	सोशल इंस्टीट्यूट एंड जेंडर इंडेक्स	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)	–	–
24.	वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडीकेटर	विश्व व्यापार संगठन (WTO)	–	–

भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2019#

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India) द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट, 2019 (India State of Forest Report, 2019-ISFR, 2019) जारी की गई है।

- वर्ष 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से 'भारतीय वन सर्वेक्षण' द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- यह इस श्रेणी की 16वीं रिपोर्ट है।
- इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिये भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट-2 से प्राप्त आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। रिपोर्ट में सटीकता लाने के लिये आँकड़ों की जाँच हेतु वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई है।
- इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिये पूरे देश में 2200 से अधिक स्थानों से प्राप्त आँकड़ों का प्रयोग किया गया है।
- वर्तमान रिपोर्ट में 'वनों के प्रकार एवं जैव विविधता' (Forest Types and Biodiversity) नामक एक नए अध्याय को जोड़ा गया है, इसके अंतर्गत वृक्षों की प्रजातियों को 16 मुख्य वर्गों में विभाजित करके उनका 'चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण' (Champion & Seth Classification) के आधार पर आकलन किया जाएगा।
- वनों में रहने वाले व्यक्तियों की ईंधन, चारा, इमारती लकड़ियों एवं बाँस पर आश्रितता के आकलन के लिये एक राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन किया गया है।
- भारतीय वन सर्वेक्षण ने भूमि के ऊपर स्थित जैवभार (Above Ground Biomass) के आकलन के लिये भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान (Indian Space Research Organisation) के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय स्तर की परियोजना प्रारंभ की है और असम राज्य में 'पल्सर' (Phased Array Type L- Band Synthetic Aperture Radar–PALSAR) मोजैक (Mosaic) तथा भारतीय वन सर्वेक्षण के आँकड़ों के आधार पर जैवभार का आकलन किया जा चुका है।

चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण

- वर्ष 1936 में हैरी जॉर्ज चैंपियन (Harry George Champion) ने भारत की वनस्पति का सबसे लोकप्रिय एवं मान्य वर्गीकरण किया था।
- वर्ष 1968 में चैंपियन एवं एस.के. सेठ (S.K. Seth) ने मिलकर स्वतंत्र भारत के लिये इसे पुनः प्रकाशित किया।
- यह वर्गीकरण पौधों की संरचना, आकृति विज्ञान और पादपी स्वरुप पर आधारित है।
- इस वर्गीकरण में वनों को 16 मुख्य वर्गों में विभाजित किया।

ISFR, 2019 से संबंधित प्रमुख तथ्य	
देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल	8,07,276 वर्ग किमी. (कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56%)
कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र	7,12,249 वर्ग किमी. (कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67 प्रतिशत)
कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र	95,027 वर्ग किमी. (कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.89 प्रतिशत)
वनाच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि	3,976 वर्ग किमी. (0.56 प्रतिशत)
वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि	1,212 वर्ग किमी. (1.29 प्रतिशत)
वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्रफल में कुल वृद्धि	5,188 वर्ग किमी. (0.65 प्रतिशत)

वनों की स्थिति से संबंधित राज्यवार आँकड़े

सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य	
मिज़ोरम	85.41 प्रतिशत
अरुणाचल प्रदेश	79.63 प्रतिशत
मेघालय	76.33 प्रतिशत
मणिपुर	75.46 प्रतिशत
नगालैंड	75.31 प्रतिशत

सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य	
मध्य प्रदेश	77,482 वर्ग किमी.
अरुणाचल प्रदेश	66,688 वर्ग किमी.
छत्तीसगढ़	55,611 वर्ग किमी.
ओडिशा	51,619 वर्ग किमी.
महाराष्ट्र	50,778 वर्ग किमी.

वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य	
कर्नाटक	1,025 वर्ग किमी.
आंध्र प्रदेश	990 वर्ग किमी.
केरल	823 वर्ग किमी.

खंड III

अभ्यास प्रश्न

अभ्यास प्रश्न
(Practice Questions)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
   1. धारणीय विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals) पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल (थिंक टैंक) ने, जिसे 'क्लब ऑफ रोम' कहा जाता था, प्रस्तावित किया था।
   2. धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किये जाने हैं।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2
2. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से भारत सरकार के 'हरित भारत मिशन (Green India Mission)' के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है/करते हैं?
   1. पर्यावरणीय लाभों एवं लागतों को केंद्र एवं राज्य के बजट में सम्मिलित करते हुए एतद् द्वारा 'हरित लेखाकरण (ग्रीन अकाउंटिंग)' को अमल में लाना।
   2. कृषि उत्पाद के संवर्द्धन हेतु द्वितीय हरित क्रांति आरम्भ करना जिससे भविष्य में सभी के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो।
   3. वन आच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्द्धन करना तथा अनुकूलन (अडाप्टेशन) एवं न्यूनीकरण (मिटिगेशन) के संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर देना।

   नीचे दिये गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-
   (a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3
3. हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) का परिकलन करने में साधारणतया निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किनको विचार में लिया जाता है?
   1. कार्बन डाइऑक्साइड 2. कार्बन मोनोक्साइड
   3. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 4. सल्फर डाइऑक्साइड
   5. मीथेन

   नीचे दिये गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-
   (a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 2, 3 और 4
   (c) केवल 1, 4 और 5 (d) 1, 2, 3, 4 और 5
4. "मोमेंटम फॉर चेंज: क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ" यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है?
   (a) जलवायु परिवर्तन पर अन्तर-सरकारी पैनल
   (b) UNEP सचिवालय
   (c) UNFCCC सचिवालय
   (d) विश्व मौसमविज्ञान संगठन
5. 'बर्डलाइफ इंटरनेशनल' (Birdlife International) नामक संगठन के सन्दर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   1. यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है।
   2. 'जैव-विविधता हॉटस्पॉट' की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई।
   3. यह 'महत्त्वपूर्ण पक्षी एवं जैव-विविधता क्षेत्र' (इम्पॉर्टेन्ट बर्ड एंड बॉयोडाइवर्सिटी एरियाज़) के रूप में ज्ञात/निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है।

   नीचे दिये गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-
   (a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
6. प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय संघ (इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्ज़र्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज़) (IUCN) तथा वन्य प्राणिजात एवं वनस्पतिजात की संकटापन्न स्पीशीज़ के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एन्डेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा-CITES) के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   1. IUCN संयुक्त राष्ट्र (UN) का एक अंग है तथा CITES सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है।
   2. IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबन्धन के लिये, विश्वभर में हज़ारों क्षेत्र-परियोजनाएँ चलाता है।
   3. CITES उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्धकर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है।

   नीचे दिये गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-
   (a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3
7. 'हरित जलवायु निधि (ग्रीन क्लाइमेट फंड)' के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
   1. यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है।
   2. इसे UNEP, OECD, एशिया विकास बैंक और विश्व बैंक के तत्त्वावधान में स्थापित किया गया है।

   नीचे दिये गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

97. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
1. यह जनसंख्या के लिये समयबद्ध और सस्ते खाद्यान्न वितरण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है।
2. इसमें सरकार द्वारा बाज़ार मूल्य पर खाद्यान्न की खरीद शामिल है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

98. निम्नलिखित उत्पादों पर विचार कीजिये-
1. चावल 2. गेहूँ
3. तिलहन

उपर्युक्त में से किन खाद्यान्नों के लिये भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) द्वारा बफर स्टॉक का रख-रखाव किया जाता है?

(a) केवल 1 और 2 (b) 1, 2 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 1 और 3

99. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
1. इस अधिनियम में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक अनुपात में लाभार्थियों को शामिल किया गया है।
2. केंद्रीय पूल में खाद्यान्नों के अतिरिक्त भंडार को तरलता प्रदान करने के लिये सरकार खुली बाज़ार बिक्री योजना का लाभ उठा सकती है।
3. इस अधिनियम के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) की श्रेणी को चिह्नित किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

100. एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
1. यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एक पहल है।
2. अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी इस योजना की विशेषताओं में से एक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरमाला

1. (b)	2. (c)	3. (b)	4. (c)	5. (c)
6. (b)	7. (a)	8. (d)	9. (b)	10. (b)
11. (c)	12. (c)	13. (c)	14. (c)	15. (d)
16. (c)	17. (c)	18. (b)	19. (a)	20. (b)
21. (a)	22. (b)	23. (c)	24. (d)	25. (a)
26. (a)	27. (a)	28. (a)	29. (a)	30. (d)
31. (a)	32. (c)	33. (b)	34. (c)	35. (d)
36. (a)	37. (c)	38. (c)	39. (a)	40. (b)
41. (b)	42. (c)	43. (b)	44. (c)	45. (b)
46. (c)	47. (d)	48. (a)	49. (c)	50. (b)
51. (c)	52. (c)	53. (a)	54. (c)	55. (b)
56. (b)	57. (d)	58. (c)	59. (a)	60. (a)
61. (a)	62. (a)	63. (b)	64. (c)	65. (c)
66. (d)	67. (c)	68. (b)	69. (d)	70. (b)
71. (c)	72. (c)	73. (d)	74. (a)	75. (b)
76. (c)	77. (c)	78. (d)	79. (b)	80. (a)
81. (d)	82. (a)	83. (a)	84. (c)	85. (c)
86. (a)	87. (a)	88. (a)	89. (d)	90. (a)
91. (b)	92. (d)	93. (d)	94. (c)	95. (b)
96. (a)	97. (a)	98. (a)	99. (b)	100. (b)

घर बैठे IAS/PCS की संपूर्ण तैयारी करने के लिये आपका स्वागत है

Drishti Learning App

पर

GET IT ON Google Play

अपने एंड्रॉयड फोन पर आज ही इंस्टॉल करें

ऐप की विशेषताएँ

- टीम दृष्टि द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाएँ एक ही मंच पर।
- ऑनलाइन, पेनड्राइव मोड में कक्षाएँ उपलब्ध।
- प्रिलिम्स और मेन्स की टेस्ट सीरीज़ भी ऐप के माध्यम से उपलब्ध।
- सभी पुस्तकें, मैगजीन, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के नोट्स देखने व मंगवाने की सुविधा।

ऑनलाइन कोर्स की विशेषताएँ

- घर बैठे देश के सर्वोत्कृष्ट अध्यापकों से पढ़ने की सुविधा।
- अब दिल्ली या किसी बड़े शहर जाकर पढ़ने की मजबूरी नहीं।
- IAS और PCS के कोर्स उपलब्ध।
- ऑनलाइन कोर्स करने के बाद, क्लासरूम कोर्स में प्रवेश लेने पर शुल्क में विशेष छूट।
- हर क्लास अपनी सुविधा से 3 बार देखने की सुविधा।
- उत्तर लिखकर चेक कराने तथा संदेह-समाधान की व्यवस्था भी शीघ्र उपलब्ध।
- कई विषयों के कोर्स ऑनलाइन और पेनड्राइव मोड में भी उपलब्ध।

दृष्टि आई.ए.एस. (दिल्ली शाखा) का पता
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
8448485519, 87501 87501, 011-47532596

दृष्टि आई.ए.एस. (प्रयागराज शाखा) का पता
ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज
8448485518, 8750187501, 8929439702

दृष्टि आई.ए.एस. (राजस्थान शाखा) का पता
प्लॉट नंबर-45 व 45-A, हर्ष टावर-2, मेन टोंक रोड़, वसुंधरा कॉलोनी, जयपुर राजस्थान-302018
8448485518, 8750187501, 8929439702

दृष्टि पब्लिकेशन्स की प्रमुख पुस्तकें

641, 1st Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-110009
Ph.: 011-47532596, 87501 87501
Website: www.drishtiias.com
E-mail: booksteam@groupdrishti.com

मूल्य : ₹ 100